6-1-20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० है। प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजकुमार कस्वा R.A.S

प्रार्थना पत्र संख्या :– 270 / 2018   दायर तारीख :– 18.07.2018

1. मायादेवी पत्नि मोहनलाल जाति बलाई नि0 तुर्कियावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

— — प्रार्थी

बनाम

1. कजोड पुत्र माना जाति बलाई नि0 गदडी तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर
2. नारायण पुत्र पेमा जाति जाट
3. बन्ना पुत्र पेमा जाति जाट
4. सीताराम पुत्र श्योजी जाति बलाई
5. गोपाल पुत्र श्योजी जाति बलाई
6. बक्सा पुत्र धीसा जाति जाट
7. जगन्नाथ पुत्र धीसा जाति जाट
8. रूघा पुत्र धीसा जाति जाट
   समस्त नि0 तुर्कियावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल, जिला जयपुर

— — अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री भागचन्द सांभरिया, अधिवक्ता प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी सं0 1 लगा0 9

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

निर्णय

निर्णय दिनांक : [illegible]-1-2020

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खं0नं0 144 / 4 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा, खं0नं0 216 / 146 रकबा 5 बीघा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 18 विस्वा वाकै ग्राम तुर्कियावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो प्रार्थीया के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी है। उपरोक्त आराजी के पड़ौस में अप्रार्थी सं0 1 की आराजी खं0नं0 146 / 3, अप्रार्थी सं0 2 की आराजी खं0नं0 214 / 146, अप्रार्थी सं0 3 की आराजी खं0नं0 213 / 146, अप्रार्थी सं0 4 व 5 की आराजी खं0नं0 215 / 146, अप्रार्थी सं0 6 लगा0 8 की आराजी खं0नं0 145 वाकै ग्राम तुर्कियावास तह0 कि0रेनवाल में स्थित है। इस प्रकार प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 लगा0 9 पड़ौसी काश्तकार है एवं रेकॉडेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीया की आराजीयात अप्रार्थीगण की आराजीयात के [illegible] अप्रार्थीगण प्रार्थीया की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी अनाधिकृत रूप से [illegible] जोतना चाहते है व सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीया ने दिनांक [illegible].16 को अपनी आराजीयात का तहसीलदार कि0रेनवाल के आदेश क्रंमाक भू0अ0 / 2016 / 2554 दिनांक 17.06.16

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक (जयपुर)

Scanned by CamScanner

की पालना मे दिनांक 19.06.16 को पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का के जरिये उपस्थित मौतबिरान के समक्ष सीमाज्ञान कराकर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थर लगाकर निशान कायम करने लगे तो अप्रार्थीगण विवाद करने लगे एवं सम्पूर्ण रकबें की सीमा पर निशानात लगाने मे व्यवधान पैदा किया ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के लिए यह प्रा0पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

3. प्रार्थीया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075, नकल नक्शा ट्रेस, नकल फर्द सीमाज्ञान दिनांक 19.06.16 आदि पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। प्रार्थीया ने अपनी आराजी की पत्थर गढ़ी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी ने अपनी आराजी का दिनांक 19.06.16 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थीया की आराजी की पत्थरगढ़ी की जाना न्यायोचित समझता है।

5. प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की आराजी खं0नं0 144/4 रकबा 2 बीघा 18 विस्वा, खं0नं0 216/146 रकबा 5 बीघा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 18 विस्वा वाकै ग्राम तुर्कियावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 की मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.06.16 के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार कि0रेनवाल को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6-1-2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.09.09 11:49:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांभर झील (जयपुर)

Scanned by CamScanner